आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0— 427/2015 के सुनवाई के क्रम में दिनांक— 20.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में निम्न निदेश दिए जाते है :—

(1) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा केन्द्रों पर प्रर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ती कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही यथासंभव प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर कैमरा की व्यवस्था की जाय।

(2) प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त प्रभारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा परीक्षा संचालन से संबंधित वीक्षक/कर्मी, जो कदाचार कराने में सहयोग प्रदान करते है या लिप्त पाये जाते है, की विवरणी तैयार कर वरीय पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय।

(3) यह भी सुनिश्चित किया जाय कि परीक्षा केन्द्र परिसर से 50 (पचास) मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश न हो।

उपरोक्त आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा। आदेश का समेकित अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक— 25.03.2015 के पूर्वाहन तक निश्चित रूप से पुलिस महानिदेशक नियंत्रण कक्ष, बिहार, पटना को उपलब्ध करा दी जाय।

प्र. कु. ठाकुर 23/3/15

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1831 /एक्स0एल
XL(ALERT)04/13
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना, दिनांक— 23.03.2015

प्रतिलिपिः—

1. प्रधान सचिव (गृह) विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
2. सभी क्षेत्रिय पुलिस उप—महानिरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
3. सभी प्रक्षेत्रिय पुलिस महा—निरीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
4. सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्र. कु. ठाकुर 23/3/15

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

o/c